26 जून 2013 के विनियमन (ईयू) सं 604/2013 के बारे में जानकारी
किसी तीसरे देश के नागरिक या किसी राष्ट्रविहीन व्यक्ति की ओर से किसी सदस्य राष्ट्र में दायर अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण आवेदन की जाँच के लिए जिम्मेदार सदस्य राष्ट्र का निर्धारण करने के लिए कसौटी और प्रणाली और तंत्र की स्थापना के लिए निर्देश (डबलिन III)

आपने ऑस्ट्रिया में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए आवेदन दिया है। इसका हालांकि यह अर्थ कतई नहीं है कि आपकी आश्रय प्रक्रिया ऑस्ट्रिया में ही होगी। डबलिन III के अनुसार कुछ कानूनी पूर्वापेक्षाओं के कारण आपके आश्रय आवेदन की जांच के लिए निम्नलिखित देश जिम्मेदार हो सकते हैं:

बेल्जियम, बुल्गेरिया, जर्मनी, डेन्मार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, आइलैंड, इटली, क्रोएशिया, लीचेंस्टीन, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नार्वे, पुर्तगाल, रोमानिया, स्वीडन, स्पेन, यूनाईटेड किंगडम, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, स्विटजरलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी और साइप्रस।

इनमें से कोई भी राष्ट्र आपके आश्रय आवेदन की जांच के लिए जिम्मेदार है और इसकी जिम्मेदारी मानता है, संघीय आश्रय कार्यालय यह कहते हुए फैसला जारी करेगा कि ऑस्ट्रिया आश्रय प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपको उस राष्ट्र में हस्तांतरित किया जायेगा।

निम्नलिखित मामलों में आपका आश्रय आवेदन जांचने में किसी और राष्ट्र की जिम्मेदारी विशेष रूप से लागू होती है:

- परिवार का एक सदस्य (जीवनसाथी, साथी, आपका नाबालिग अविवाहित बच्चा; आपके नाबालिग साबित होने की स्थिति में: पिता, माता या कोई अन्य वयस्क, जो सदस्य राष्ट्र के सामान्य चलन या कानून के मुताबिक आपका कानूनी प्रतिनिधि हो) या तो उपर्युक्त राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण का लाभार्थी हों या अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए आवेदन दिया हुआ हो जिस पर कि अंतिम निर्णय आना है।
- आपके पास उपर्युक्त में से किसी राष्ट्र की ओर से जारी किया गया आवासीय दस्तावेज है या प्रवेश के समय आपके पास उपर्युक्त राष्ट्रों में से किसी एक की ओर से जारी किया गया वीजा था।
- यूरोप में प्रवेश के लिए आप उपर्युक्त में से किसी एक राष्ट्र से गुजरे या आप प्रवेश के बाद वहां पांच महीने से अधिक समय रहे।
- ऑस्ट्रिया में प्रवेश से पूर्व आपने उपर्युक्त में से किसी एक राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए आवेदन दिया है (यह EURODAC प्रश्न के जरिये निर्धारित किया जा सकता है)।

आपके मामले की जांच के लिए उपर्युक्त राष्ट्रों में से एक के जांच के संकेत मिलते हैं, तो संघीय आश्रय कार्यालय आपके आश्रय आवेदन जमा होने के बाद उस राष्ट्र में तीन महीनों के भीतर प्रवेश का आवेदन जमा कर सकता है। जिस राष्ट्र में आवेदन किया गया है, प्रवेश के आवेदन पर दो माह के भीतर उसका जवाब आना चाहिये। यदि इस अवधि में कोई जवाब नहीं आता है, सामान्यतः यह माना जायेगा कि प्रवेश का आवेदन मंजूर कर लिया गया है। यदि आपने पहले से उपर्युक्त में से किसी एक राष्ट्र में आश्रय आवेदन दिया हुआ है, तो संक्षिप्त प्रक्रिया लागू होगी।

यदि प्रवेश का आवेदन निश्चित रूप से बरखास्त किया गया है, आपके अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए आवेदन की ऑस्ट्रिया में जांच की जायेगी।

यदि प्रवेश का आवेदन मंजूर किया गया है, आपको अपील प्रक्रिया पर दिशानिर्देशों के साथ फैसला बताया जायेगा और जिम्मेदार सदस्य राष्ट्र में हस्तांतरित किया जायेगा। तब वह सदस्य राष्ट्र आपकी वस्तुगत आश्रय प्रक्रिया करेगा।

सैद्धांतिक रूप से हस्तांतरण, संघीय आश्रय कार्यालय की ओर से जमा प्रवेश आवेदन पर अन्य राष्ट्र की मंजूरी के छह माह के भीतर होना चाहिये। कुछ मामलों में अवधि बढ़ाई जा सकती है, उदाहरण के लिए, आप हस्तांतरण से बचने की कोशिश करें। अगर आपकी कोई विषेश चिकित्सकीय जरूरत है, तो ऑस्ट्रिया आपसे लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद स्थानांतरण से पहले सदस्य राष्ट्र को यह सूचना देगा।